

## प्रेसनोट दिनांक 08.04.2021

1. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम जियावन पुत्र राम मिलन नि0 पूरे अहलाद तिवारी का पुरवा थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 233/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेश कुमार पुत्र विश्वनाथ नि0 घाटमपुर सीकीडिहा थाना इनायतनगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 234/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अदील अहमद थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद नि0 पूरे हुसैन खॉ थाना को0नगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 235/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री हरिशंकर राय थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बालक राम पुत्र प्यारे लाल नि0 घसियारी मण्डी देवकाली थाना को0नगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 236/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अहमद इकबाल उर्फ मुन्ना मोबाइल पुत्र अहमद कैयूम नि0 जिला चिकित्सालय के सामने रिकाबगंज थाना को0नगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। उक्त अभि0 थाना स्तर पर टाप-10 अपराधी चिन्हित हैं। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 237/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री यशवंत द्विवेदी थाना को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जितेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र सियाराम नि0 315 कोठा पार्चा थाना को0नगर अयोध्या आदि 02 नफर दोनो गिर0 अभि0गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रूपयो के हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना व पकड़े जाना, मौके से मालफड़ 1400 रूपये व जामा तलाशी के 400 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 238/21 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 07.04.21 को वादी श्री सुरेश पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि महताब कुरैशी पुत्र रफीउल्ला नि0 इटरौली थाना गोसाईगंज जनपद सुलतानपुर पु0घो0 10000/ रूपये गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 171/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री स्वतन्त्र कुमार मौर्या थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोतीलाल यादव पुत्र सीताराम नि0 नौघड़ा निकट अफीम कोठी थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 172/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि गिरधारी निषाद पुत्र स्व0 राम प्रताप निषाद नि0 बेगमगंज गढैया थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 173/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री संदीप त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजकुमार निषाद पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद नि0 रेतिया थाना कण्ट अयोध्या आदि 02 नफर दोनो गिर0 अभि0गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रूपयो के हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना व पकड़े जाना, मौके से

मालफड 4040 रूपये व जामा तलाशी के 28000 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 174/21 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री यादव राजेश रामदेव थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अर्जुन पाण्डेय पुत्र प्रेम पाण्डेय नि0 पठान टोलिया अमानीगंज थाना को0नगर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 750 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 185/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री रामचन्द्र मौर्य थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संगीत सिंह पुत्र जय नारायण सिंह नि0 गंगौली थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद बॉका नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 130/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अतुल सिंह उर्फ लाखन सिंह उर्फ शिवम पुत्र प्रदीप सिंह नि0 नरियावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 131/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अतुल सिंह उर्फ लाखन सिंह उर्फ शिवम पुत्र प्रदीप सिंह नि0 नरियावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 13 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 132/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री रामचन्द्र मौर्य थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अंकित चौबे पुत्र पारसनाथ चौबे नि0 चौबेपुर अंजना थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 133/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 07.04.21 को वादी श्री अशोक सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह नि0 सनेथू थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि धीरेन्द्र सिंह नि0 तिलकमऊ गुरुबक्श सिंह जनपद रायबरेली आदि 02 नफर अभि0 द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वाहन नहर में गिरा देना जिससे गाड़ी में बैठे वादी के पुत्र आदर्श सिंह की मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 134/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राम चन्द्र मौर्या थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोनू शर्मा पुत्र केदारनाथ शर्मा नि0 गण्डई भावापुर थाना को0बीकापुर अयोध्या हालपता—भरतकुण्ड थाना पूराकलन्दर अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा वाहन पर जिला पंचायत प्रत्याशी का स्टीकर लगाकर प्रचार प्रसार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 136/21 धारा 188, 171जी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप यादव उर्फ सनी पुत्र जगदीश यादव नि0 जरही थाना महाराजगंज अयोध्या अभियुक्त द्वारा बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करना, वाहन पर पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 121/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राजकुमार पटेल थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि महेन्द्र वर्मा पुत्र केशवराम वर्मा नि0 अरसठ थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 86/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 07.04.21 को वादी श्री मो0 इरफान पुत्र मो0 इब्राहिम नि0 कटरा रूदौली थाना को0रूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 44 एके 0036 स्कार्पियो का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक

द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र युसूफ को कुचल देना जिससे मौके पर मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 163/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

21. दिनांक 07.04.21 को वादी श्री साई लाल पुत्र राम प्रसाद नि0 अछौरा पूरे राम नाथ दूबे थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की पत्नी जयकला को टक्कर मार देना जिसकी मौके पर मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 164/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

22. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री हरिश्चन्द्र यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार उर्फ राम लौटन पुत्र राम जियावन नि0 विनायकपुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 67/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

23. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री सैय्यद तनवीर हैदर थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि छोटू पासी पुत्र नौमीराम पासी नि0 पूरब अली थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 68/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

24. दिनांक 07.04.21 को वादी श्री तौफीक पुत्र सिरताज नि0 चितौरा थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कईम पुत्र इब्राहिम नि0 चितौरा थाना खण्डासा अयोध्या आदि 03 नफर महुआ बीनने की बात को लेकर अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 70/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

25. दिनांक 07.04.21 को वादी आरक्षी मोहित कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जयचन्द पुत्र सुमेरे नि0 कीन्हूपुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 71/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

26. दिनांक 07.04.21 को वादी उ0नि0 श्री सैय्यद तनवीर हैदर थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बोलेरो संख्या यूपी 41 एए 6390 का चालक नाम पता अज्ञात आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा बिना अनुमति के बोलेरो पर पोस्टर लगाकर प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 72/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

27. दिनांक 07.04.21 को वादी श्री पिन्टू पुत्र चन्द्रिका प्रसाद नि0 गौरी का पुरवा फिरोजपुर मखदूमी थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बुधिराम पुत्र लाल बहादुर नि0 गौरी का पुरवा फिरोजपुर मखदूमी थाना को0रुदौली अयोध्या आदि 03 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि0गण वादी व उसके भाई को मारना पीटना तथा गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 171/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।